UPSN040020882011

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट–प्रथम, भदोही–ज्ञानपुर।

पीठासीन अधिकारी–शिंजिनी यादव (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)

J.O. CODE–UP03473

मुकदमा परिवाद नम्बर–918/2011 ई०

महेन्द्र कुमार पुत्र स्व० राम प्यारे प्रोप्राइटर महेन्द्र कुमार एण्ड ब्रदर्श
निवासी– सुरियांवा नगर पंचायत वार्ड नम्बर 6 थाना सुरियांवा आराजी मौजा सुरियांवा ,पट्टी जोरावर सिंह तालुका– चौथार तहसील व परगना भदोही जनपद भदोही

----------------परिवादी

बनाम

केदारनाथ पाल पुत्र रामपति पाल
निवासी–झिंगटेपुर थाना सुरियांवा, पोस्ट–सुरियांवा परगना व तहसील भदोही जनपद भदोही

----------------अभियुक्त

परिवाद संस्थित तिथि–08.06.2011
परिवादी का नाम–महेन्द्र कुमार पुत्र स्व० राम प्यारे
अभियुक्त का नाम–केदारनाथ पाल
धारा–138 एन. आई. एक्ट, 1881
थाना–सुरियांवा, जिला भदोही।

–निर्णय–

1– प्रस्तुत परिवाद में अभियुक्त केदारनाथ पाल का विचारण धारा –138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अन्तर्गत परिवादी महेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत परिवाद के आधार पर किया गया है।

<u>तथ्यात्मक विवरणः–</u>

2– संक्षेप में परिवाद कथानक इस प्रकार है कि परिवादी फर्म महेन्द्र कुमार एण्ड ब्रदर्श के नाम से बिल्डिंग मैटेरियल का व्यापार करता है। विपक्षी बराबर उसके यहां से बिल्डिंग सम्बन्धित मैटेरियल ले जाता रहा जिससे विपक्षी का परिचय परिवादी से पहले से ही बना हुआ

था। विपक्षी ने परिवादी फर्म उक्त से अपने मकान बनाने हेतु बिल्डिंग मैटेरियल क्रय किया और उक्त क्रय शुदा बिल्डिंग मैटेरियल जिसका टोटल मूल्य–2,58,129.30/– था, के भुगतान के एवज में एक चेक नम्बर–204793 दिनांकित–25.10.2010 ई० रुपये एक लाख दिया और बाकी बकाया राशि–1,58,129.30/– का भुगतान नगद तीन माह कर देने का वचन दिया तथा काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक हरिहरपुर सुरियांवा मोड़ शाखा के नाम आहरित चेक संख्या 204793 के सम्बन्ध में कहा कि बैंक उक्त में मेरे द्वारा पर्याप्त धनराशि जमा की गयी है उसे समक्ष बैंक प्रस्तुत कर अन्य भुगतान प्राप्त कर लेना। विपक्षी इस बात से भंलिभांति अवगत रहा कि उसने बैंक उक्त में कत्तई परिवादी के चेक के एवज में भुगतान हेतु धनराशि नही जमा किया है और न ही रुपया जमा करने का विपक्षी का इरादा ही रहा। परिवादी को धोखे में रख करके उसके साथ धोखाधड़ी करते हुये बिल्डिंग मैटेरियल का सामान बएवज चेक संख्या 204793 दिनांकित 25.10.2010 क्रय करके कपटपूर्वक ढंग से उठा ले गया। परिवादी फर्म द्वारा जब विपक्षी का चेक संख्या–204793 मु०–1,00,000/– रुपये भुगतान हेतु बैंक उक्त में प्रस्तुत किया गया तो बैंक द्वारा दिनांक 04.03.2011 ई० को राशि अपर्याप्त की टिप्पणी के साथ चेक लौटा दिया गया। परिवादी फर्म द्वारा उक्त विपक्षी को उसके मोबाईल नम्बर –9839050046 पर उसके द्वारा प्रदत्त चेक संख्या–204793 की राशि भुगतान हेतु पर्याप्त नही है यह लिखते हुये बैंक ने विपक्षी के चेक को परिवादी को वापस लौटा दिया इस बात से अवगत कराया और शीघ्र भुगतान हेतु आग्रह किया गया जिस पर विपक्षी द्वारा दिनांक 18.04.2011 तक आवश्यक बैंक उक्त में धनराशि जमा कर देनी की बात कही गयी एवं दिनांक 20.04.2011 ई० तक चेक प्रस्तुत कर अपना भुगतान प्राप्त कर लेने का पूर्ण आश्वासन दिया। परिवादी द्वारा विपक्षी के कथनानुसार तिथि पर चेक संख्या 204793 बैंक के समक्ष भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया तो बैंक ने दिनांक 21.04.2011 ई० को चेक अनादृत करते हुये परिवादी को उक्त चेक दिनांक 30.04.2011 को वापस कर दिया गया। इस तरह उक्त चेक संख्या 204793 में वर्णित धनराशि रुपये एक लाख परिवादी को प्राप्त नही हुई । परिवादी को चेक में वर्णित धनराशि एक लाख रुपये जब प्राप्त नही हुई तो परिवादी ने विपक्षी को रजिस्टर्ड नोटिस भेजा जिसे विपक्षी ने प्राप्त किया और नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी विपक्षी ने परिवादी को चेक संख्या 204793 का भुगतान नही किया। ऐसी परिस्थिति में विपक्षी ने 138 एन. आई. एक्ट का अपराध कारित किया। प्रार्थना है कि विपक्षी केदारनाथ पाल को 138 एन आई एक्ट के अन्तर्गत दण्डित करने की कृपा करें।

<u>न्यायालय की कार्यवाहीः–</u>

3–तलब करने से पूर्व साक्ष्यः–

प्रथम दृष्टया मामला साबित करने हेतु परिवादी द्वारा परिवाद कथानक के समर्थन में धारा 200 दं० प्र०सं० में स्वयं का बयान व धारा–202 दं०प्र०सं० में बतौर पी०डब्लू०–1 साक्षी विजय नाथ का साक्ष्य अंकित कराया गया।

4–दस्तावेजी साक्ष्यः–

परिवादी द्वारा अपने परिवाद के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये–

1. मूल चेक संख्या–204793 दिनांकित 25.10.2010 मू०–1,00,000/– रुपये (प्रदर्श क–3) पत्रावली पर कागज संख्या 8 अ
2. रिटर्न मेमो यूनियन बैंक आफ इण्डिया बाबत चेक संख्या–204793 दिनांकित 04.03.2011 पत्रावली पर कागज संख्या 7 अ
3. रिटर्न मेमो यूनियन बैंक आफ इण्डिया बाबत चेक संख्या–204793 दिनांकित 21.04.2011 (प्रदर्श क 4) पत्रावली पर कागज संख्या 9 अ
4. विधिक नोटिस दिनांकित 18.05.2011 की प्रति(प्रदर्श क 1) पत्रावली पर कागज संख्या 5 अ/1 से 5 अ/2
5. मूल रजिस्ट्री रसीद दिनांकित 20.05.2011 (प्रदर्श क 2) पत्रावली पर कागज संख्या 6 अ

5–तलबी आदेशः–

मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा परिवाद कथानक के समर्थन में धारा 200 दं०प्र०सं० व 202 दं०प्र०सं० के साक्ष्य तथा दस्तावेजी साक्ष्य में चेक, रिटर्न मेमो, विधिक नोटिस भेजने की रजिस्ट्री रसीद की मूलप्रति के आधार पर दिनांक 25.08.2011 ई० को अभियुक्त केदारनाथ पाल को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 में विचारण हेतु तलब किया गया। अभियुक्त ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी जमानत करायी।

6– बयान मुल्जिमः–

अभियुक्त केदारनाथ पाल न्यायालय मे उपस्थित हुए और उनका बयान मुल्जिम अंकित किया गया। अभियुक्त द्वारा कहा गया कि उस पर लगाये गये आरोप गलत है व उसे रंजिशन फंसाया गया है।

7– परिवादी साक्ष्यः–

परिवादी ने मौखिक साक्ष्य के रुप में स्वयं को पी०डब्लू० –1 के रुप में परीक्षित कराया। अन्य किसी गवाह को परिवादी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया।

8–अभियुक्त का बयानः–

अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। जिसमें उसके द्वारा कथन किया गया कि उस पर लगाये गये आरोप गलत है और वह सफाई साक्ष्य देना चाहता है।

9–सफाई साक्ष्यः–

सफाई साक्ष्य में अभियुक्त केदारनाथ पाल की ओर से बतौर दस्तावजी साक्ष्य अकाउन्ट स्टेटमेन्ट पत्रावली पर कागज संख्या 14 अ/2 व 28 अ/2 प्रस्तुत किया गया।

मैने परिवादी व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। अभियुक्त द्वारा धारा 437A द०प्र०सं० का अनुपालन किया गया।

10–<u>साक्ष्य का अभिमूल्यनः–</u>

साक्षी पी०डब्लू०–1 महेन्द्र कुमार पुत्र स्व० रामप्यारे ने सशपथ बयान दिया कि, " मेरा महेन्द्र कुमार एण्ड ब्रदर्श के नाम से बिल्डिंग मैटेरियल का दुकान है। अभियुक्त केदारनाथ पाल हमारे दुकान से बिल्डिंग मैटेरियल का सामान बराबर ले जाते रहे है। जिससे हमारा परिचय

था। अभियुक्त मेरे दुकान से 2,58,129.30/– रुपये का सामान खरीदा था उसके एवज में मुझे एक लाख रुपये का चेक दिनांक 25.10.2010 को काशी संयुक्त ग्रामीण बैंक के शाखा हरिहरपुर सुरियांवा का दिया था। शेष बकाया रुपया के लिए 3 महिने का समय भुगतान करने के लिए कहा था। चेक उक्त अपने खाता बैंक यूनियन बैंक शाखा सुरियांवा में भुगतान हेतु दिया था जो दिनांक 04.03.2011 ई० को बाउन्स हो गया था। तब मैने केदार को सूचना दिया कि आपका चेक बाउन्स हो गया है उनके आश्वासन पर मैने उक्त चेक को दोबारा बैंक में डाला यह चेक दिनांक 21.04.2011 ई० को बाउन्स हो गया। बैंक द्वारा 30.04.2011 ई० को अनादृत चेक को मेमो के साथ वापस कर दिया गया। मैने अधिवक्ता के माध्यम से केदारनाथ को नोटिस दिया था। अभियुक्त द्वारा नोटिस का जवाब नही दिया गया न ही पोस्ट वापस किया। अभियुक्त जानते हुये यह चेक धोखा देने की नियत से जारी किया था। परिवादी ने पत्रावली में दाखिल नोटिस को देखकर कहा कि यह वही नोटिस है जिसकी मूल प्रति अभियुक्त को भेजा था जिस पर मेरे हस्ताक्षर है जिस पर **प्रदर्श क 1** डाला गया है। साथ ही वह रजिस्ट्री रसीद पत्रावली में शामिल है देखकर बताया वही रजिस्ट्री रशीद है जिसपर **प्रदर्श क 2** डाला गया। साक्षी ने पत्रावली में शामिल चेक को बताया कि यह वही चेक है जिसपर अभियुक्त का हस्ताक्षर है जिस पर **प्रदर्श क 3** डाला गया।(विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा विरोध किया गया) बैंक मेमो दिनांकित 21.04.2011 को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही बैंक मेमो है। मेरे बैंकर द्वारा अनाधिकृत रुप से चेक मेमो के साथ वापस किया गया जिस पर **प्रदर्श क 4** डाला गया।"

बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी द्वारा कथन कि," मेरी दुकान के अलावा बिल्डिंग मैटेरियल की बहुत दुकान सुरियांवा मार्केट में है जो सामान केदार पाल को बिल्डिंग मैटेरियल के लिए दिया गया था उसकी रसीद इस पत्रावली में नही है। केदारनाथ पाल से मेरी काफी दिन से जान पहचान है। आना जाना एक दूसरे से लेन देन लगा रहता है। उनसे मेरा व्यवहार अच्छा था। मेरी सुरियांवा बाजार में एक दुकान है। गल्ला मंडी के पास में है। केदारनाथ व मुझसे कितनी बार लेन देन हुआ यह मुझे याद नही है । केदारनाथ सामाजिक प्रकृति के आदमी नही है। उनके यहा से गल्ला का लेन देन नही करता हूं। केदारनाथ मेरी दुकान पर सन् 2010 में आये थे। अकेले आये थे। 2010 के पहले परिचय व मेलजोल था लेन देन पहली बार हुआ था। पहली बार सामान की लेन देने हुआ था। सामान का पैसा बाकी था सामान का पैसा नही दिये थे। उधारी सामान दिया था। विजयनाथ परिचित नही है। विजयनाथ इस मुकदमें मे गवाह है। मैने उनको गवाही देने को कहा था। विजयनाथ दूबे का घर मेरे दुकान से 6–7 किमी दक्षिण तरफ है। विजयनाथ दूबे का पहले से लेन देन नही था। उस समय सामान लेने आये थे। मुझे तारीख याद नही है। उस समय दुकान पर दो आदमी थे उनके अलावा कोई नही था। केदारनाथ से मेरी कई बार लेनदेन हुई। उस दरमियान कोई विवाद नही हुआ था। केदारनाथ ने मुझे अपने घर पर चेक दिया था। चेक कौन भरा था मुझे याद नही। केदार चेक पर मेरे सामने हस्ताक्षर किया था। एक चेक मुझे दिया था। इस चेक बाबत 3–4 बार मुलाकात किया था। बैंक में चेक दाखिल 25.10.2010 को किया था। इस चेक को दाखिल करने में दो–तीन बार मेरी व उनसे मुलाकात व बातचीत हुयी थी। पेमेन्ट से समबन्ध में मैने नोटिस सूचना दिया था। प्रशासनिक अधिकारी को सूचना न कही शिकायत किया था। किसी

थाने में नही गया था ।इस मुकदमें के दाखिल करने के बाद मेरा व केदारनाथ की मुलाकात नही हुई थी। चेक बाउन्स होने के बाद कितने दिन बाद नोटिस दिया था याद नही है और मुकदमा कब दाखिल किया याद नही है। मेरा व केदार का मुकदमा दाखिल करने के बाद कभी बातचीत न ही कोई लेनदेन हुआ था। केदार कितना पढ़ा लिखा है मुझे नही मालूम। यह कहना गलत है कि केदार द्वारा चेक मुझे सिक्योरिटी के तौर पर दिया गया था जिसका अनुचित लाभ लेने के लिए अमाउन्ट भर कर दिया था। यह सही है कि चेक में केदारनाथ पाल का जो हस्ताक्षर है वह महेन्द्र कुमार को एक लाख रुपये लिखने में अन्तर है। यह दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखा गया है। यह कहना गलत है कि केदारनाथ पाल से अनुचित लाभ लेने के लिए मुकदमा किया गया। यह कहना गलत है कि मैने फर्जी मुकदमा किया था। "

निष्कर्षः–

11– परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत किये जाने वाले अपराध के लिए निम्न तथ्यो का होना आवश्यक है–

1. किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए किसी बैंककार के पास अपने द्वारा रखे गये खाते में से किसी अन्य व्यक्ति को किसी धनराशि के संदाय के लिए कोई चेक लिखा गया हो।
2. वह चेक उसके लिखे जाने के तारीख से छः मास की अवधि के भीतर या उसकी विधिमान्यता का अवधि के भीतर जो भी पूर्वतर हो, बैंक को प्रस्तुत किया गया हो।
3. वह चेक बैंक द्वारा संदाय किये बिना या तो इस कारण लौटा दिया जाता है कि उस खाते में जमा धनराशि उस चेक का आदरण करने के लिए अपर्याप्त है या वह उस रकम से अधिक है जिसका बैंक के साथ किये गये करार द्वारा उस खात में से संदाय करने का ठहराव किया गया है।
4. चेक पाने वाला या धारक, सम्यक अनुक्रम में चेक के लेखीवाल को असंदत्त चेक के लौटाये जाने के बावत बैंक से उसे सूचना की प्राप्ति के तीस दिवस के भीतर, लिखित रुप में सूचना देकर उक्त धनराशि के संदाय के लिए मांग करता है।
5. ऐसे चेक का लेखीवाल चेक के पाने वाले को या धारक को उक्त सूचना की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर उक्त धनराशि का संदाय सम्यक अनुक्रम में करने में असफल रहता है।

12– प्रदर्श क–3 चेक संख्या 204793 से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त द्वारा एक लाख रुपये का एक चेक दिनांकित 25.10.2010 परिवादी को दिया था। प्रदर्श क 4 जो कि यूनियन बैंक आफ इण्डिया द्वारा दिया गया रिटर्न मेमो है उसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को दिया गया उक्त चेक दिनांक 21.04.2011 को अपर्याप्त धनराशि होने के कारण अनादृत कर दिया गया। प्रदर्श क–1 विधिक नोटिस दिनांकित 18.05.2011 की प्रति है जो परिवादी द्वारा अभियुक्त को दी गई। प्रदर्श क–2 उक्त विधिक नोटिस से सम्बन्धित मूल डाक रसीद दिनांकित 20.05.2011 है। अतः दिनांक 21.04.2011 को चेक बाउन्स होने के उपरान्त परिवादी द्वारा विधिक नोटिस दिनांकित 18.05.2011 अभियुक्त को जरिये रजिस्ट्री

दिनांक 20.05.2011 को दी गयी। इसके उपरान्त भी जब अभियुक्त द्वारा पैसा वापस नही किया गया तब परिवादी ने परिवाद पत्र दिनांक 08.06.2011 ई० को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

13– गौरतलब है कि अभियुक्त और परिवादी एक ही जनपद के रहने वाले है। परिवादी द्वारा नोटिस एवं डाक पर उचित रुप से अभियुक्त का पता लिखकर अभियुक्त के पते पर भेजा गया है। एक ही राज्य के एक ही जनपद मे डाक का विवरण करने के लिए मामूली अनुक्रम में भारतीय डाक को एक से दो दिन लगता है। **भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114** के अनुसार न्यायालय यह उपधारित कर सकेगी कि विशिष्ट मामले में कारबार के सामान्य अनुक्रम का अनुसरण किया गया है। **धारा 27 साधारण खण्ड अधिनियम 1897** के अनुसारः–

डाक द्वारा तामीला का अर्थः–

"जहा की इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात बनाया गया कोई केन्द्रीय अधिनियम या विनियम किसी दस्तावेज की डाक द्वारा तामील की जानी प्राधिकृत या अपेक्षित करता है चाहे "तामील" अथवा "देना" या "भेजना", इन दोनो में से किसी भी पद का अथवा किसी अन्य पद का उपयोग किया गया हो वहाँ जब तक कि भिन्न आशय प्रतीत न हो उस दस्तावेज को अन्तवृष्टि रखने वाले पत्र उचित रुप से पता लिखकर, उस पर पूर्व संदाय करके और उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा डाक में भेजने से तामील हुई समझी जायेगी और जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाये यह समझा जायेगा कि तामील उस समय हो चुकी है जब वह पत्र डाक के मामूली अनुक्रम में परिदत्त हो जाता। "

14– अतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114 सपठित धारा 27 साधारण खण्ड अधिनियम 1897 से यह गणना की जा सकती है कि परिवादी द्वारा दिनांक 20.05.2011 को भेजा गया विधिक नोटिस 22.05.2011 को प्राप्त कर लिया गया। चूंकि नोटिस दिनांकित 18.05.2011 जो परिवादी द्वारा मूल रजिस्ट्री रसीद कागज संख्या–6 अ के अनुसार दिनांक 20.05.2011 को भेजी गयी थी की प्राप्ती के 15 दिन बाद भी अभियुक्त द्वारा कोई धनराशि परिवादी को भुगतान नही किया गया, परिवादी द्वारा दिनांक 08.06.2011 को यह परिवाद प्रस्तुत किया गया।

15– जहा तक अभियुक्त का कहना है कि नोटिस न प्राप्त होने के कारण वादकारण उत्पन्न नही हुआ, तो इसी संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सी. सी. अलवी हाजी बनाम पालपेट्टी मोहम्मद व अन्य 2007 AIR SCW 3578** निर्णय दिनांक 18.05.2007 में यह कहा है कि–

"It is also to be born in mind that the requirement of giving of notice is a clear departure from the rule of Criminal Law, where there is no stipulation of giving of a notice before filing a complaint. Any drawer who claims that he did not receive the notice sent by post, can, within 15 days of receipt of summons from the court in respect of the complaint under section 138, of

the Negotiable instruments Act, 1881 make payment of the cheque amount and submit to the court that he had made payment within 15 days of receipt of summons (by receiving a copy of complaint with the summons) and, therefore, the complaint is liable to be rejected. A person who does not pay within 15 days of receipt of the summons from the Court along with the copy of the complaint under Section 138 of the Act, cannot obviously contend that there was no proper service of notice as required under Section 138, by ignoring statutory presumption to the contrary under Section 27 of the G.C. Act and Section 114 of the Evidence Act. In our view, any other interpretation of the proviso would defeat the very object of the legislation. As observed in Bhaskarans case(supra), if the giving of notice in the context of Clause(b)of the proviso was the same as the receipt of notice a trickster cheque drawer would get the premium to avoid receiving the notice by adopting different strategies and escape from legal consequences of Section 138 of the Act."

जिसका यह अर्थ है कि यदि अभियुक्त न्यायालय से सम्मन प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनो के भीतर चेक की धनराशि परिवादी को भुगतान नही करता है तब अभियुक्त इस दलील का कोई फायदा नही उठा सकता है कि उसे कानूनी नोटिस प्राप्त नही हुआ था। इस मामले में अभियुक्त द्वारा न्यायालय से सम्मन प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनो के भीतर चेक की धनराशि का परिवादी को भुगतान नही किया गया, अतः अभियुक्त का तर्क निराधार है। इसके अलावा अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य नही प्रस्तुत किया गया जिससे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114(f) एवं साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 27 में उल्लिखित उपधारणाएं खण्डित हो जाए। अतः अभियुक्त यह साबित करने में बुरी तरह विफल रहा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के अन्तर्गत परिवादी को वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है। उपरोक्त कारणो के आधार पर यह साबित होता है कि चेक का लेखीवाल यानी अभियुक्त चेक पाने वाले को या धारक को उक्त सूचना की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर उक्त धनराशि का संदाय सम्यक अनुक्रम में करने में असफल रहा।

16– परिवादी द्वारा बतौर साक्षी पी०डब्लू०–1 अपनी जिरह में यह स्पष्ट कथन किया गया है कि," चेक कौन भरा था मुझे याद नही केदार चेक पर मेरे सामने हस्ताक्षर किया था।" परिवादी ने अभियुक्त केदारनाथ पाल द्वारा चेक पर हस्ताक्षर करने की बात का उल्लेख बयान में किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **बीर सिंह बनाम मुकेश कुमार 2019 4 SCC 197** में यह विधिक मत प्रकट किया गया है कि,

" A meaningful reading of the provisions of the Negotiable Instruments Act including in particular Section 20, Section 87 and 139 makes it amply clear that a person who signs a cheque and makes it over to the payee remains liable unless he adduces evidence to rebut the presumption that the cheque has been issued for payment of debt or in discharge of a liability. It is immaterial that the cheque may have been filled by any person other than the drawer, if the cheque is duly signed by the drawer."

उपरोक्त विधि व्यवस्था से स्प्ष्ट है कि यदि चेक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर है तो उसका उत्तरदायित्व बनता है। परिवाद द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के खण्डन में अभियुक्त द्वारा कोई भी समुचित मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।

17– पत्रावली के अवलोकन से निम्नलिखित बिन्दु स्पष्ट हैः–

- परिवादी महेन्द्र को चेक संख्या–204793 दिनांकित–25.10.2010 मु०–1,00,000/– रुपये अभियुक्त केदारनाथ पाल द्वारा दिया गया।
- उक्त चेक दिनांक 04.03.2011 को और पुनः 21.04.2011 को अपर्याप्त धनराशि होने के कारण बैंक द्वारा अनादृत कर परिवादी को वापस कर दिया गया।
- परिवादी द्वारा विधिक नोटिस दिनांकित 18.05.2011 मूल रजिस्ट्री रसीद दिनांकित 20.05.2011 के अनुसार अभियुक्त को भेजी गयी।
- उपर लिखित धारा 114 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 सपठित धारा 27 साधारण खण्ड अधिनियम 1897 से यह गणना की जा सकती है कि परिवादी द्वारा दिनांक–20.05.2011 को भेजा गया नोटिस दिनांक–22.05.2011 को अभियुक्त द्वारा प्राप्त कर लिया गया था।
- इसके 15 दिन बाद भी अभियुक्त द्वारा भुगतान न किये जाने पर दिनांक 08.06.2011 को परिवादी द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत किया गया।

18– इस प्रकार परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत किये जाने वाले अपराध के लिए सभी आवश्यक तथ्य साबित होते है। अतः परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 118(क) एवं धारा 139 को देखना प्रासंगिक होगा।

- धारा 118(क) परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अनुसार जब तक कि प्रतिकूल साबित नही कर दिया जाता, प्रतिफल के विषय में यह उपधारणा की जाएगी कि हर एक परक्राम्य लिखत प्रतिफलार्थ रचित या लिखी गई थी और यह

कि हर ऐसी लिखत जब प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, परक्रामित या अन्तरित हो चुकी हो तब वह प्रतिफलार्थ, प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, परक्रामित या अन्तरित की गई थी ।

- धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अनुसार जब तक कि अन्यथा साबित न कर दिया जाये, यह उपधारणा की जायेगी कि चेक के धारक ने वह चेक धारा 138 में किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व के भागतः या पूर्णतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है।

इन दोनो धारा में यह लिखा है कि न्यायालय द्वारा उपधारणा की जाएगी, यानी धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के लिए सारी आवश्यकताएं पूरी होने पर वैधानिक निष्कर्ष निकालने के अलावा कोई भी विवेक न्यायालय के पास नही है। परन्तु वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध अनुमान लगाया गया है इसके खंडन हेतु और इसके विपरीत साबित करने के लिए तथ्य प्रस्तुत कर सकता है।

19– चूंकि परिवादी परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत किये जाने वाले अपराध के लिए समस्त आवश्यक तथ्य साबित करने में सफल रहा है, अब अपने बचाव को साबित करने का दायित्व अभियुक्त पर है।

20– अभियुक्त केदानराथ पाल द्वारा सफाई साक्ष्य में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य अपना बैंक एकाउन्ट स्टेटमेन्ट पत्रावली पर कागज संख्या–14 अ/2 प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रवृष्टि दिनांकित 01.10.2010 के आधार पर परिवादी महेन्द्र के पक्ष में 20,000/– रुपये देने का कथन किया गया है। किन्तु उक्त धनराशि चेक संख्या 204793 से सम्बन्धित 1,00,000/– रुपये की अदायगी के अनुक्रम में दी गयी थी या नही यह साबित करने में अभियुक्त असफल रहा है। उक्त 20,000/– रुपये परिवादी को दिनांक 01.10.2010 को दिये गये थे और चेक संख्या 204793 दिनांक 25.10.2010 को दिया गया था। पत्रावली पर अभियुक्त द्वारा कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि उक्त 20,000/– रुपये अनादृत चेक संख्या–204793 से सम्बन्धित 1,00,000/– के भुगतान के सम्बन्ध में दिये गये है।

21– अभियुक्त केदारनाथ पाल द्वारा सफाई साक्ष्य में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य अपना बैंक अकाउन्ट स्टेटमेन्ट कागज संख्या–28 अ/2 प्रस्तुत किया जिसकी प्रवृष्टि दिनांकित 31.05.2011 के आधार पर अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा बहस के स्तर पर यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा 31.05.2011 को 1,00,000/– रुपये अपने अकाउन्ट में डाले गये थे। परिवादी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा निर्गत चेक संख्या 204793 दिनांकित 25.10.2010 छः माह के लिए वैध था और यह अवधि समाप्त होने के बाद ही अभियुक्त द्वारा दिनांक 31.05.2011 को अपने खाते में पैसे डाले गये थे। उल्लेखनीय यह है कि चेक दिनांकित 25.10.2010 की अवधि समाप्त होने के उपरान्त परिवादी उक्त चेक के माध्यम से पैसे वापस नही ले सकता था और अभियुक्त द्वारा अपने खाते में 1,00,000/– रुपये की रकम उक्त अवधि के समाप्त होने के बाद 31.05.2011 को डाली गयी। प्रकरण 2011 से लम्बित है और इस दरमियान अभियुक्त द्वारा परिवादी को उक्त अनादृत चेक की धनराशि मु० – 1,00,000/– रुपये की अदायगी हेतु कोई भुगतान नही किया गया।

22– अतः उपरोक्त विवेचना तथा मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य की गहन समीक्षा एवं सम्यक विश्लेषण के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचता है कि अभियुक्त केदारनाथ पाल धारा 138 एन आई एक्ट में सृजित उपधारणा का खण्डन अपने साक्ष्य से नही कर सका है जबकि परिवादी अपने साक्ष्य से यह साबित करने में सफल रहा है कि मु–1,00,000/– रुपये का चेक संख्या 204793 दिनांकित 25.10.2010, दिनांक 21.04.2011 को अपर्याप्त धनराशि होने के कारण अनादृत हो गया। तदोपरान्त विधिक नोटिस प्राप्त करने के उपरान्त भी अभियुक्त द्वारा अपने दायित्व के उन्मोचन के अनुक्रम में परिवादी को जो चेक दिया गया था उसकी धनराशि वापस नही की गयी।

अतः अभियुक्त केदारनाथ पाल के विरुद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 का आरोप युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित होता है। अभियुक्त केदारनाथ पाल धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनिमय 1881 के आरोप में दोषसिद्ध एवं दण्डित किये जाने योग्य है।

आदेश

23– अभियुक्त केदारनाथ पाल पुत्र रामपति पाल को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881(138 एन0 आई0 एक्ट) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने का दोषी पाया जाता है। अभियुक्त केदारनाथ पाल जमानत पर है। उसके जमानतनामे एवं बंधपत्र निरस्त किये जाते है तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वो से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त को तुरन्त न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए।

पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु लंच बाद पेश हो।

दिनांक–27.02.2024ई0

(शिंजिनी यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट– प्रथम,
भदोही–ज्ञानपुर।

UPSN040020882011

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट–प्रथम, भदोही–ज्ञानपुर।
पीठासीन अधिकारी–शिंजिनी यादव (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)
J.O. CODE–UP03473
मुकदमा परिवाद नम्बर–918/2011 ई०

महेन्द्र कुमार पुत्र स्व० राम प्यारे प्रोप्राइटर महेन्द्र कुमार एण्ड ब्रदर्श
निवासी– सुरियांवा नगर पंचायत वार्ड नम्बर 6 थाना सुरियांवा आराजी मौजा सुरियांवा ,पट्टी जोरावर सिंह तालुका– चौथार तहसील व परगना भदोही जनपद भदोही
----------------परिवादी

बनाम

केदारनाथ पाल पुत्र रामपति पाल
निवासी–झिंगटेपुर थाना सुरियांवा, पोस्ट–सुरियांवा परगना व तहसील भदोही जनपद भदोही
----------------अभियुक्त

धारा–138 एन. आई. एक्ट, 1881
थाना–सुरियांवा, जिला भदोही।

लंच बाद दिनांक 27.02.2024

1. दण्ड के प्रश्न पर पत्रावली सुनवाई हेतु पेश हुई। अभियुक्त केदारनाथ पाल पुत्र रामपति पाल न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित है। पत्रावली वास्ते दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु नियत है।
2. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं परिवादी को विद्वान अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
3. परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा परिवादी से बिल्डिंग मैटेरियल क्रय करने के एवज में एक लाख रुपये का चेक दिया गया जो बाउन्स हो गया और अभियुक्त द्वारा परिवादी को रुपये वापस नही किये गये। परिवादी को उसका धन वापस कराया जाए और उसे जो वाद की कार्यवाही में नुकसान हुआ उसकी भरपाई करायी जाए।
4. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त सामाजिक एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नही है। यह उसका प्रथम अपराध है। वह भविष्य में कोई ऐसा अपराध कारित नही करेगा। अतः उसे न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जाए।

5. यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण धारा 138 एन. आई. एक्ट से सम्बन्धित है जो अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित अपराध है अतः अभियुक्त केदारनाथ पाल को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।
6. -उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त केदारनाथ पाल को न्यायालय द्वारा अंतर्गत धारा -138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के आरोप में दोष सिद्ध किया गया है। अभियुक्त इसी प्रकरण में जरिये हिरासत न्यायालय में उपस्थित है। प्रकरण सन् 2011 से लम्बित है तथा परिवादी का एक लाख रुपये का चेक इस प्रकरण में अनादृत हुआ था, जिससे परिवादी को आर्थिक क्षति हुई है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों व अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये दोष सिद्ध अभियुक्त केदारनाथ पाल पुत्र रामपति पाल को निम्न दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होती है।

दण्डादेश

7. दोष सिद्ध अभियुक्त केदारनाथ पाल को परिवाद संख्या-918 सन् 2011 महेन्द्र कुमार प्रोप्राइटर महेन्द्र कुमार एण्ड ब्रदर्श बनाम केदारनाथ पाल अन्तर्गत धारा -138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 थाना सुरियांवा जनपद भदोही में छः माह के साधारण कारावास एवं मु० -1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को दो माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अर्थदण्ड की धनराशि में से मु०-20,000/- (बीस हजार रुपये) की धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में देय होगी तथा शेष मु०- 1,60,000/-(एक लाख साठ हजार रुपये) परिवादी चेक धनराशि व वाद खर्चा आदि के एवज में प्राप्त करेगा । दण्ड भुगतने हेतु अभियुक्त का सजायाबी वारण्ट बनाकर जिला कारागार में अविलम्ब भेजा जाए। निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निशुल्क तत्काल प्रदान की जाए।

दिनांक -27.02.2024

(शिंजिनी यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट- प्रथम
भदोही-ज्ञानपुर

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक -27.02.2024

(शिंजिनी यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट- प्रथम
भदोही-ज्ञानपुर

Digitally signed by Shinjini Yadav
Date: 2024.04.23 10:33:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court